राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 807वी बैठक दिनांक 22.09.2023 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 807वीं बैठक दिनांक 22.09.2023 को श्री अरूण कुमार भट्ट, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एप्को, पर्यावरण परिसर, भोपाल में सम्पन्न हुई बैठक में निम्न सदस्य स्वयं/विडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम उपस्थित थें :—

1. श्री अनिल कुमार शर्मा, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्री मुजीबुर्रहमान खान, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

बैठक के प्रारंभ में प्रभारी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये:—

क्र	प्रकरण क्र.	अधिसूचित श्रेणी	परियोजना	SEAC द्वारा अनुशंसित/परिवेश पोर्टल पर आवेदित	प्राधिकरण का निर्णय
1.	5771/2018	8(a)	भवन निर्माण	बैंक गारंटी नवीनीकरण	स्पष्टीकरण
2.	5752/2018	8(a)	भवन निर्माण	बैंक गारंटी नवीनीकरण	स्पष्टीकरण
3.	5759/2018	8(a)	भवन निर्माण	बैंक गारंटी नवीनीकरण	स्पष्टीकरण
4.	5756/2018	8(a)	भवन निर्माण	बैंक गारंटी नवीनीकरण	स्पष्टीकरण
5.	10021/2023	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
6.	9955/2023	1(a)	ग्रेनाईट खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्पष्टीकरण एवं Delisted
7.	9906/2023	1(a)	चूनापत्थर एवं डोलोमाईट खदान	For ToR	ToR स्वीकृत
8.	9798/2023	1(a)	पत्थर एवं एम.सेण्ड खदान	निरस्त	परिवेश पोर्टल पर पुनः आवेदन
9.	10167/2023	1(a)	ग्रेनाईट खदान	निरस्त	परिवेश पोर्टल पर पुनः आवेदन
10.	9957/2023	1(a)	पत्थर एवं एम.सेण्ड खदान	निरस्त	स्पष्टीकरण
11.	10083/2023	1(a)	डोलोमाईट खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की शर्त में संशोधन	यथावत
12.	10129/2023	1(a)	पत्थर एवं एम.सेण्ड खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
13.	10078/2023	1(a)	पत्थर एवं मुरूम खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

14.	8929/2022	1(a)	पत्थर एवं मुरूम खदान	For Delist	Relisted & Sent to SEAC
15.	10260/2023	1(a)	गोल्ड ब्लॉक खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्पष्टीकरण एवं Delisted
16.	9885/2023	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्पष्टीकरण एवं Delisted
17.	10038/2023	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्पष्टीकरण एवं Delisted
18.	9828/2023	1(a)	फर्शीपत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्पष्टीकरण एवं Delisted
19.	9761/2023	1(a)	पत्थर एवं एम.सेण्ड खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्पष्टीकरण एवं Delisted
20.	9833/2023	1(a)	पत्थर एवं एम.सेण्ड खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्पष्टीकरण एवं Delisted
21.	2811/2015	1(a)	पत्थर खदान	निरस्त	परिवेश पोर्टल पर पुनः आवेदन
22.	7194/2020	1(a)	मैगनीज ऑर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति अनुशंसित नहीं	Delisted
23.	9167/2022	1(a)	डोलोमाईट खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्पष्टीकरण एवं Delisted

1. **Case No 5771./2018:** Environmental clearance for proposed project Group Housing Project Fortune Divine City at Khasra No. 260/1/|/1, 257/3, village Misrod, P.H. No. 42, Tehsil Huzur, District Bhopal, Madhya Pradesh, Total Land area- 23633.66 sq.m. Total Built up Area-34730.65 sq.m. by M/s Fortune Builders through Partner Mr. Sameer Gupta, Fortune House 157, Zone-1, MP Nagar Bhopal M.P.- 462011 E-mail fortunebuilders@yahoo.co.in Telephone No. 0755-4203239, 3256627

उक्त प्रकरण में राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक 650वीं दिनांक 08.06.2023 में की गई अनुशंसा उपरांत राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की बैठक 793वीं दिनांक 21.06.2023 में लिए गए निर्णयानुसार पत्र क्र. पत्र क्र. 790 दिनांक 26.06.23 के द्वारा परियोजना प्रस्तावक को बैंक ग्यारंटी नवीनीकरण हेतु सूचित किया गया था।

इसी सन्दर्भ में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्र दिनांक 07.07.2023 SEIAA कार्यालय में प्राप्ति दिनांक 25.07.23 के माध्यम से बैंक ग्यारंटी नवीनीकरण हेतु दो माह का समय चाहा गया है तथा अनुरोध किया गया है कि भारत सरकार, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल द्वारा site inspection की कार्यवाही अभी completion स्टेज पर है और इसके पूर्ण होते ही उनके द्वारा बैंक ग्यारंटी विमुक्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध के अनुसार प्रकरण पर प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत यह निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा बैंक ग्यारंटी नवीनीकरण हेतु चाही गई अवधि समाप्त हो चुकी है अतः

(मुजीबुर्रहमान खान) **सदस्य सचिव** | (अनिल कुमार शर्मा) **सदस्य** | (अरूण कुमार भट्ट) **अध्यक्ष**

परियोजना प्रस्तावक बैंक ग्यारंटी नवीनीकरण कर दस दिनों के अंदर प्रस्तुत करे अन्यथा पर्यावरण स्वीकृति revoke संबंधित कार्यवाही की जाएगी।

2. **Case No 5752/2018:** Environmental Clearance for proposed project Group Housing Project Tulip Green at Khasra No. 235, 236, 237, 239, 241, 240/2, 240/1/1 at Village Mahabadia, Kolar road, District Bhopal, Madhya Pradesh. Total Land area- 87100 sq.m. Total Built up Area – 25976.10 sq.m. by M/s Fortune Soumya Housing through Mr. Sanjay Sinha Partner, M/s Fortune Soumya Housing, Fortune Soumya Santoza, Bagli, Behind C-21 Malla, Bhopal, MP – 462023 E- mail fortunesoumyabpl@gmail.com

उक्त प्रकरण में राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक 650वीं दिनांक 08.06.2023 में की गई अनुशंसा उपरांत राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की बैठक 793वीं दिनांक 21.06.2023 में लिए गए निर्णयानुसार पत्र क्र. पत्र क्र. 781 दिनांक 26.06.23 के द्वारा परियोजना प्रस्तावक को बैंक ग्यारंटी नवीनीकरण हेतु सूचित किया गया था।

इसी सन्दर्भ में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्र दिनांक 07.07.2023 SEIAA कार्यालय में प्राप्ति दिनांक 25.07.23 के माध्यम से बैंक ग्यारंटी नवीनीकरण हेतु दो माह का समय चाहा गया है तथा अनुरोध किया गया है कि भारत सरकार, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल द्वारा site inspection की कार्यवाही अभी completion स्टेज पर है और इसके पूर्ण होते ही उनके द्वारा बैंक ग्यारंटी विमुक्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध के अनुसार प्रकरण पर प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत यह निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा बैंक ग्यारंटी नवीनीकरण हेतु चाही गई अवधि समाप्त हो चुकी है अतः परियोजना प्रस्तावक बैंक ग्यारंटी नवीनीकरण कर दस दिनों के अंदर प्रस्तुत करे अन्यथा पर्यावरण स्वीकृति revoke संबंधित कार्यवाही की जाएगी।

3. **Case No 5759/2018:** Environmental Clearance for proposed project "Fortune Soumya Atlantis" at Khasra No. 160/2, 161, 162, 163/2, 163/3, 163/4, 164/1, 164/2, 171/1, 171/2, 326 at Bagli, Barrai, District Bhopal, M. P. Total Land area- 75743.94 sq.m. Total Built up Area – 62525.99 sq.m. by M/s Fortune Soumya Housing through Mr. Sameer Gupta, Partner, Fortune Soumya Santoza C/o Fortune Soumya Housing Bagli, Behind C-21 Mall Bhopal (M.P.) - 462016 E-mail fortunebuildersbpl@yahoo.co.in Telephone No. 0755-4203239, 3256627

उक्त प्रकरण में राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक 650वीं दिनांक 08.06.2023 में की गई अनुशंसा उपरांत राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की बैठक 793वीं दिनांक 21.06.2023 में लिए गए निर्णयानुसार पत्र क्र. पत्र क्र. 782 दिनांक 26.06.23 के द्वारा परियोजना प्रस्तावक को बैंक ग्यारंटी नवीनीकरण हेतु सूचित किया गया था।

इसी सन्दर्भ में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्र दिनांक 07.07.2023 SEIAA कार्यालय में प्राप्ति दिनांक 25.07.23 के माध्यम से बैंक ग्यारंटी नवीनीकरण हेतु दो माह का समय चाहा गया है तथा अनुरोध किया गया है कि भारत सरकार, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल द्वारा site inspection की कार्यवाही अभी completion स्टेज पर है और इसके पूर्ण होते ही उनके द्वारा बैंक ग्यारंटी विमुक्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध के अनुसार प्रकरण पर प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत यह निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा बैंक ग्यारंटी नवीनीकरण हेतु चाही गई अवधि समाप्त हो चुकी है अतः परियोजना प्रस्तावक बैंक ग्यारंटी नवीनीकरण कर दस दिनों के अंदर प्रस्तुत करे अन्यथा पर्यावरण स्वीकृति revoke संबंधित कार्यवाही की जाएगी।

4. **Case No 5756/2018:** Environmental Clearance for proposed Group Housing Project "Fortune Signature" at Village Bawadiakala Tehsil Huzur Distt. Bhopal M.P. Total Land Area- 36070 sq.m. Total Built up Area 45583.75 sq.m. by M/s Fortune Builders through Authorized Signatory Mr. Sameer Gupta, Fortune House 157, Zone-1, M.P. Nagar, Bhopal-462016 E-mail fortunebuildersbpl@yahoo.co.in Telephone No. 0755-4203239, 3256627

उक्त प्रकरण में राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक 650वीं दिनांक 08.06.2023 में की गई अनुशंसा उपरांत राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की बैठक 793वीं दिनांक 21.06.2023 में लिए गए निर्णयानुसार पत्र क्र. 788 दिनांक 26.06.23 के द्वारा परियोजना प्रस्तावक को बैंक ग्यारंटी नवीनीकरण हेतु सूचित किया गया था।

इसी सन्दर्भ में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्र दिनांक 07.07.2023 SEIAA कार्यालय में प्राप्ति दिनांक 25.07.23 के माध्यम से बैंक ग्यारंटी नवीनीकरण हेतु दो माह का समय चाहा गया है तथा अनुरोध किया गया है कि भारत सरकार, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल द्वारा site inspection की कार्यवाही अभी completion स्टेज पर है और इसके पूर्ण होते ही उनके द्वारा बैंक ग्यारंटी विमुक्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध के अनुसार प्रकरण पर प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत यह निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा बैंक ग्यारंटी नवीनीकरण हेतु चाही गई अवधि समाप्त हो चुकी है अतः परियोजना प्रस्तावक बैंक ग्यारंटी नवीनीकरण कर दस दिनों के अंदर प्रस्तुत करे अन्यथा पर्यावरण स्वीकृति revoke संबंधित कार्यवाही की जाएगी।

5. **प्रकरण क्र. 10021/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री राजेन्द्र देशमुख आत्मज श्री मारोतीराव देशमुख, निवासी सराफा मार्केट, संत विनोबा वार्ड–4, आमला, तहसील आमला, जिला बैतूल (म0प्र0) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सैमी मेकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 15000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.740, हेक्टेयर, खसरा 20, ग्राम मोरनढाना, तहसील तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 663वी बैठक दिनांक 27.07.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है एवं तदुपरांत **राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 801वीं बैठक दिनांक 17.08.2023 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया**

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान के अक्षांश देशांश अनुसार गूगल ईमेज पर के आधार पर प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कई अन्य खदाने खुदी हुई परिलक्षित हो रही हैं। अतः उपरोक्त के संबंध में जिला कलेक्टर, बैतूल से 15 दिवस में प्रस्तावित खदान के आस–पास अन्य खदानों का पूर्ण विवरण संबंधित अधिकारी से स्थल निरीक्षण करवाकर वास्तविक स्थिति का स्पष्ट अभिमत प्राप्त किया जाये। तबतक प्रकरण को Delist किया जाता है। तदानुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

प्राधिकरण के उपरोक्त निर्णय के परिपालन में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईमेल दिनांक 26.08.2023 के माध्यम से प्रकरण में चाही गई जानकारी प्रस्तुत कर पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं SEAC की 663वी बैठक दिनांक 27.07.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित प्रकरण को Relist करते हुये पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया

(i) **बैतूल जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(ii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद 08 वृक्षों में से काटे जाने वाले 04 पेड़ के एवज में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के तहत रोपित 40 पौधों का सरंक्षण किया जायेगा एवं उक्त पौधो के संरक्षण हेतु ट्री–गार्ड लगाये जायें।**

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार समस्त वृक्षारोपण कार्यों हेतु निर्धारित लक्ष्य का अनिवार्यतः परिपालन एवं निर्धारित समयावधि में क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही **उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने** इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक श्री राजेन्द्र देशमुख आत्मज श्री मारोतीराव देशमुख, निवासी सराफा मार्केट, संत विनोबा वार्ड–4, आमला, तहसील आमला, जिला बैतूल (म0प्र0) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सैमी मेकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 15000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.740, हेक्टेयर, खसरा 20, ग्राम मोरनढाना, तहसील तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) बैतूल के पत्र क्र. 747 दिनांक 24.04.2023 के अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 23.04.2033 तक वैध मान्य रहेगी।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

6. **प्रकरण क्र. 9955/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स सांवरिया सेठ ग्रेनाईट, पार्टनर, श्री हिम्मत सिंह राजपुरोहित आत्मज श्री भंवरलाल राज रोहित, निवासी गोविंद कृषि फार्म, नागौर रोड़, बोराबड, जिला नागौर (राजस्थान) द्वारा ग्रेनाईट खदान, (ओपनकास्ट सैमी मेकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 1000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.80, हेक्टेयर, खसरा 1797, ग्राम नरवां, तहसील शाहगढ़, जिला सागर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 663वी बैठक दिनांक 27.07.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है एवं तदुपरांत **राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 801वीं बैठक दिनांक 17.08.2023 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया**

> ***परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना एवं ऑनलाईन फार्म में ग्रेनाईट के साथ निकलने वाले वेस्ट मटेरियल को सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः परियोजना प्रस्तावक से स्पष्ट जानकारी प्राप्त की जाये कि ग्रेनाईट के साथ कितना वेस्ट मटेरियल निकलेगा व उसका क्या उपयोग किया जायेगा तथा पर्यावरण स्वीकृति के आवेदन में वेस्ट मटेरियल को क्यो सम्मिलित नहीं किया गया है ? तबतक प्रकरण को Delist किया जाता है। तदानुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।***

प्राधिकरण के उपरोक्त निर्णय के परिपालन में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS दिनांक 13.09.2023 के माध्यम से प्रकरण में चाही गई जानकारी प्रस्तुत कर पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत जानकारी पर राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उक्त लीज वर्ष 2017 से 2037 तक स्वीकृत है जिसका लीज हस्तांतरण वर्ष 2022 में मेसर्स सांवरिया सेठ के नाम किया गया है। उक्त प्रकरण में यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि पूर्व में प्रस्तावित लीज की पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त की गई है अथवा नहीं ? यदि पूर्व में उक्त खदान की पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त है तो पर्यावरण स्वीकृति की शर्तो के अनुपालन प्रतिवेदन एवं खदान में कितना ओवरवर्डन निकलेगा की जानकारी सहित परियोजना **प्रस्तावक अपने अधिकृत पर्यावरण सलाहकार के साथ आगामी SEIAA बैठक में स्पष्टीकरण हेतु उपस्थित होवें।**

7. **प्रकरण क्र. 9906/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स वीरेन्द्र सिंह एण्ड सन्स, प्रो0 श्री विनय बहादुर सिंह, निवासी– सत्येन्द्र भवन, भट्टा मोहल्ला तहसील व जिला कटनी (म0प्र0)–456224 द्वारा चूनापत्थर एवं डोलोमाइट खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता विस्तार 7045 टन प्रतिवर्ष से चूनापत्थर 87600 डोलोमाइट–11607 टन प्रतिवर्ष, रकबा 17.44 हेक्टेयर, खसरा 213/2, 214/258, 211, 213/1 ग्राम भटगवां सुनेहरा, तहसील मुरवारा, जिला कटनी (म0प्र0) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 649वी बैठक दिनांक 07.06.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है एवं तदुपरांत **राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 802वीं बैठक दिनांक 24.08.2023 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया**

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण पर विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि SEIAA की 792वी बैठक दिनांक 20.06.2023 में लिये गये निर्णयानुसार पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय से सत्यापित अनुपालन प्रतिवेदन सहित परियोजना प्रस्तावक अपने अधिकृत पर्यावरण सलाहकार के साथ प्राधिकरण के समक्ष स्पष्टीकरण हेतु उपस्थित होवें। तबतक प्रकरण को यथावत Delist रखा जाता है।

प्राधिकरण के उपरोक्त निर्णय के परिपालन में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS दिनांक 05.09.2023 के माध्यम से प्राधिकरण के समक्ष स्पष्टीकरण हेतु प्रस्तुत होने का अनुरोध किया गया।

उक्त प्रकरण में प्राधिकरण के समक्ष स्पष्टीकरण हेतु परियोजना प्रस्तावक विनय बहादुर सिंह व पर्यावरण सलाहकार श्री शिशुपाल वर्मा उपस्थित हुए एवं प्राधिकरण के समक्ष स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाये।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं SEAC की 649वी बैठक दिनांक 07.06.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित प्रकरण को Relist करते हुये ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. **परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।**

II. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त कर ईआईए प्रतिवेदन के साथ संलग्न की जाये।**

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा भू–जल दोहन के संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समय–समय पर दिये गये आदेशों/दिशा निर्देशों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित कर इसका समावेश ईआईए रिपोर्ट में किया जाये।

IV. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करें कि भू–जल का प्रतिछेदन न हो एवं इस हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का विस्तृत Geo hydrological अध्ययन का समावेश ईआईए प्रतिवेदन में किया जाये।

V. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान की जानकारी विभागीय निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप सक्षम प्राधिकारी जिला खनिज अधिकारी के माध्यम से नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डीएसआर) में सम्मिलित कर ली जायेगी, जिसका विधिवत अभिप्रमाणीकरण जिला खनिज अधिकारी द्वारा ई.आई.ए रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व की जायेगा।**

VI. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार कर उसका

(मुजीबुर्रहमान खान)	**(अनिल कुमार शर्मा)**	**(अरूण कुमार भट्ट)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

अनुपालन कैसे सुनिश्चित किया जायेगा इसका विस्तृत विवरण ईआईए प्रतिवेदन में सम्मिलित किया जाये।

VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के साथ–साथ लीज क्षेत्र की परिधि में वन विभाग के परामर्श से वृक्षारोपण की योजना तैयार की जाएगी और सभी विवरणों तथा अक्षांश देशांश के साथ वास्तविक स्थल की तस्वीरों को ई.आई.ए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।

VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जीरो साइज गिट्टी/धूल जो लीज क्षेत्र में भारी मात्रा में जमा हो जाती है, के पुर्नउपयोग की योजना बनाई जाये एवं उसका व्यवहारिक अनुपालन कैसे किया जायेगा उसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।

IX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहाड़ियों के खनन के कारण पारिस्थितिकी तंत्र को पहुंचने वाली क्षति को कम करने एवं आसपास के क्षेत्र (यदि कोई हो) पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के उचित शमन उपायों के लिए योजना का स्वरूप तथा उसका अनुपालन कैसे किया जायेगा उसे ईआईए में सम्मिलित किया जाये।

X. परियोजना प्रस्तावक द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं माननीय एनजीटी (प्रिंसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में संवेदनशील क्षेत्रों से न्यूनतम दूरी के लिये निर्धारित मापदण्ड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है का पालन करते हुए खनन योजना सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर तैयार की जाये एवं इसका समावेश ईआईए प्रतिवेदन में किया जाये।

XI. मैन्युअल खनन से संबंधित पाउडर/डस्ट फैक्टर के मूल्यांकन कर ईआईए दस्तावेजों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम) के अनुमान को सुनिश्चित करेगा एवं खदान श्रमिकों पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को समझने के साथ ही कार्यस्थल जनित रोगों की संभावना का मूल्यांकन करने में सहायक होगा।

XII. खनन गतिविधियों से ग्लोबल वार्मिंग पोटेंसिएल और कार्बन फुट प्रिंट और इसे कम करने के उपायों का अध्ययन किया जाये तथा कार्बन न्यूट्रल की प्रक्रिया सुनिश्चित करने और प्रस्तावित ऊर्जा दक्षता एवं अन्य उपायों को ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।

XIII. विस्तृत मॉनिटरिंग प्रोग्राम के साथ क्लस्टर पर्यावरण प्रबंधन योजना की कार्यप्रणाली तैयार की जानी चाहिए और इसकी कार्यान्वयन योजना के साथ ईआईए रिपोर्ट में सम्मलित की जाये ।

XIV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के अधिकतम उपयोग हेतु योजना तैयार कर इसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मलित की जाये ।

XV. पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 18–02–2022 के प्रारूप अधिसूचना अनुसार ई.आई.ए. में जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर–तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

XVI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अध्ययन में वायु गुणवत्ता मॉडलिंग को शामिल करना सुनिश्चित करेगा

XVII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एवं उनके द्वारा सुझाये गये स्थान पर खदानों से होने वाले प्रदूषण हेतु निरंतर मॉनिटरिंग इक्यूपमेन्ट लगाकर उसका डिस्प्ले किया जायें एवं अन्य ऐसे पर्यावरणीय बिन्दुओं जो कि समान रूप से सभी पर लागू है की सामूहिक रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा ईआईए रिपोर्ट में इसका विस्तृत रूप से विवरण दिया जाये।

XVIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के स्थल अनुरूप (Site Specific) कलस्टर के समुचित पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु जिला प्रशासन एवं स्थानीय निकाय से समन्वय कर कार्य योजना तैयार की जाये एवं इस कार्ययोजना का ईआईए रिपोर्ट में समावेश किया जाये।

XIX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इन्वायरमेन्टल कॉस्ट वेनिफिट एनालसिस का विस्तृत विवरण का समावेश ईआईए में किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

8. प्रकरण क्र. 9798/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स श्री बालाजी क्रेशर एंड डेव्हलपर्स, प्रो. श्री उमेश मिश्रा नि. 02 जगदंबा नगर जिला खंडवा (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता स्टोन 12000 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं एम. सैण्ड 12000 घनमीटर प्रतिवर्ष रकबा 1.74 हेक्टेयर, खसरा 29/1, 29/2, 29/3, 29/4 ग्राम – सिहाड़ा तहसील– खंडवा जिला खंडवा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 665वी बैठक दिनांक 03.08.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है एवं तदुपरांत **राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 797वीं बैठक दिनांक 01.08.2023 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया**

.........राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र कमांक 83 दिनांक 20/04/2023 के अनुसार आवेदित क्षेत्र के 500 मी. के परिधि में 05 गढ्ढे गूगल इमेज मे परिलक्षित है, जिसमें आवेदित क्षेत्र के खसरा न0. – 37 रकबा न0. 1.74 हे0. क्षेत्र पट्टाधारी श्री सोहेल को स्वीकृत होकर संचालित है एंव खसरा न0. – 43/1 रकबा न0. 0.94 हे0. क्षेत्र मे0. बालाजी केशर एंड डेव्हपलर्स को स्वीकृत होकर संचालित है तथा खसरा न0. – 38, 39/1, 39/2 रकबा 1.34 हे0. क्षेत्र श्री सोहेल जैदी को स्वीकृत है जिसमे वर्तमान मे सेक की अनुमति हेतु कार्यवाही प्रचलन मे होने से खनन बंद है एंव खसरा न0. 351 रकबा 2.00 हे0. क्षेत्र श्री ऐश्वर्य राठी एंव खसरा न0. 341/1, 341/3–4, 342/2 रकबा 1.00 हे0. क्षेत्र श्री प्रकाश चंद्र राठी को स्वीकृत खदान थी जो वर्तमान मे बंद है

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

एंव किसी प्रकार का उत्खनन कार्य नही किया जा रहा है। वर्तमान में 02 खदानें स्वीकृत होकर संचालित है एंव 03 खदान असंचालित होकर बंद है।

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा पत्र दिनांक 20.04.2023 के अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित 04 अन्य खदानों व प्रस्तावित खदान को मिलाकर कुल रकबा 7.02 हेक्टेयर होता है जो कि बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है। अतः उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निरस्त किया जाता है तथा परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाता है कि परिवेश पोर्टल पर बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करें। तदानुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

प्राधिकरण के उपरोक्त निर्णय के परिपालन में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 23.08.2023 के माध्यम से प्रकरण में कलेक्टर कार्यालय खण्डवा का पत्र प्रस्तुत कर पुनः परीक्षण किये जाने का अनुरोध किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत जानकारी पर राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि चूँकि प्रकरण निरस्त किया जा चुका है जिसे परिवेश पोर्टल पर पुनः Re-open नहीं किया जा सकता है। अतः परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाता है कि 500 मीटर की परिधि में परिलक्षित खदानों (बंद है अथवा अवधि समाप्त हो गई है) की सही जानकारी सहित परिवेश पोर्टल पर पुनः पर्यावरण स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया जाये जिससे कि प्रकरण को पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जा सके।

9. प्रकरण क्र. 10167/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स मां बंजारी मिनरल प्राइवेट लि. निदेशक श्री संजीव कुमार कटियार, निवासी 158, जोन–2, एम.पी नगर, जिला–भोपाल (म0प्र0) द्वारा ग्रेनाइट, पत्थर एवं एम–सेण्ड खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता ग्रेनाइट–11,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, पत्थर–1500 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं एम–सेण्ड 1500 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.90 हे0, खसरा क्रमांक 2555, ग्राम चंदला, तहसील चंदला, जिला छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 665वी बैठक दिनांक 03.08.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है एवं तदुपरांत राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 797वीं बैठक दिनांक 01.08.2023 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया

.... परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान के अक्षांश देशांश के अनुसार गूगल ईमेज के आधार पर प्रस्तावित खदान पहाड़ पर स्थित है तथा खदान से बसाहट 63 व 119 मीटर, तालाब 176 मीटर, पक्की सड़क 158मीटर एवं कच्ची सड़क 70मीटर पर परिलक्षित है। अतः प्रकरण में पर्यावरण संवेदनशीलता व खदान वर्जन पहाड़ी पर होने के दृष्टिगत प्रकरण को निरस्त किया जाता है। तदानुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

प्राधिकरण के उपरोक्त निर्णय के परिपालन में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 05.09.2023 के माध्यम से प्रकरण को पुनः परीक्षण किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत पर्यावरण सलाहकार श्री शिशुपाल वर्मा प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हुए एवं उनके द्वारा बताया गया कि उक्त पहाड पर अन्य खदानें भी स्वीकृत है एवं खदान में ब्लास्टिंग नहीं की जावेगी के आधार पर प्रकरण में ToR जारी किये जाने का अनुरोध किया गया है।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि यदि प्रस्तावित खदान जिस पहाड़ पर उसी पहाड़ पर यदि कोई भी लीज स्वीकृत है और उसकी पर्यावरणीय स्वीकृति SEIAA द्वारा जारी की गई है तो उक्त दस्तावेज सहित परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर पुनः ToR हेतु ऑनलाईन आवेदन किया जाये जिससे कि प्रकरण को पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जा सके।

10. प्रकरण क्र. 9957/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री पीयूष आत्मज श्री सुरेश चंदेल, निवासी बिष्ठान रोड़, –खरगोन, जिला–खरगोन (म0प्र0) द्वारा पत्थर खदान एवं एम–सेण्ड खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 5000 व एम–सेंण्ड– 3550 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.0 हे0, खसरा क्रमांक 05, 07, ग्राम मोमिनपुरा, तहसील खरगोन, जिला– खरगोन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 665वी बैठक दिनांक 03.08.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है एवं तदुपरांत राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 797वीं बैठक दिनांक 01.08.2023 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया

.... परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान के अक्षांश देशांश के अनुसार गूगल ईमेज के आधार पर प्रस्तावित खदान से लगी हुई एवं 500 मीटर की परिधि में कई अन्य खदानें परिलक्षित हो रही है जिस कारण प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत प्रतीत होता है तथा प्रस्तावित खदान के बीचों बीच से एक पक्की सड़क निकल रही है। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है जिसके अनुसार निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात् खनन योग्य क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है। अतः प्रकरण को निरस्त किया जाता है। तदानुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

प्राधिकरण के उपरोक्त निर्णय के परिपालन में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 05.09.2023 के माध्यम से प्रकरण को पुनः परीक्षण किये जाने का अनुरोध किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक अपने अधिकृत पर्यावरण सलाहकार के साथ आगामी SEIAA बैठक में प्रकरण के संबंध में स्पष्टीकरण हेतु प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होवें।

11. प्रकरण क्र. 10083/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स सविकृश मिनरल्स, प्रोपराइटर श्री अमृतांश दुबे, निवासी 874, शास्त्री नगर, एच–1, बेनवाली के पास, त्रिपुर सुंदरी वार्ड, जिला जबलपुर (म0प्र0) द्वारा डोलोमाइट खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 32259 टन प्रतिवर्ष, रकबा 1.50 हे0, खसरा क्रमांक 105/1, 105/2, 105/3, 106 ग्राम घुघरा, तहसील शाहपुर, जिला जबलपुर (म0प्र0) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 668वी बैठक दिनांक 09.08.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है एवं तदुपरांत राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 804वीं बैठक दिनांक 05.09.2023 में पर्यावरण स्वीकृति जारी किये जाने का निर्णय लिया गया।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

परियोजना प्रस्तावक का ईमेल दिनांक 11.09.2023 के माध्यम से दस्ताावेज प्रस्तुत कर प्रकरण में अधिरोपित शर्त क्र. 1 को विलोपित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक की ओर से श्री संकेत गुप्ता उपस्थित हुए एवं उपरोक्त अधिरोपित शर्त को विलोपित किये जाने के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण में अधिरोपित शर्त क्र. 1 को यथावत रखा जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

12. प्रकरण क्र. 10129/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स अनंत इंफ्राटेक, पार्टनर श्री रामप्रकाश द्विवेदी, निवासी नेहरू नगर, जिला रीवा (म0प्र0) द्वारा पत्थर एवं एम–सेण्ड खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 30,300 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं एम–सेण्ड 40,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.00 हे0, खसरा क्रमांक 418 ग्राम सीतापुर, तहसील मऊगंज, जिला रीवा (म0प्र0) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 668वी बैठक दिनांक 09.08.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है एवं तदुपरांत **राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 804वीं बैठक दिनांक 05.09.2023 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया**

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं परीक्षण उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार "प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि स्वीकृत आवंटित खनन् क्षेत्र में कुल 02 पेड़ लगे है जिसमें से 01 पेड़ काटे जायेगे तथा उनके एवज में 10 अतिरिक्त पेड़ लगाये जायेगे ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (कम से कम 04 फिट उंचाई तक के पौधों का रोपण) के लक्ष्य को पूर्ण कर स्थल के फोटोग्राफ मय अक्षांश देशांश सहित एवं साथ ही वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध जल स्त्रोत तथा प्रतिदिन जल की उपलब्ध मात्रा की जानकारी 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये। तबतक प्रकरण को Delist किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जायें।

प्राधिकरण के उपरोक्त निर्णय के परिपालन में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईमेल दिनांक 11.09.2023 के माध्यम से प्रकरण में चाही गई जानकारी प्रस्तुत कर पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं SEAC की 668वी बैठक दिनांक 09.08.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तो (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित प्रकरण को Relist करते हुये पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया

(i) **रीवा जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के**

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद 02 वृक्षों में से काटे जाने वाले 01 पेड़ के एवज में क्षतिपूति वृक्षारोपण के तहत रोपित 10 पौधों का सरंक्षण किया जायेगा एवं उक्त पौधो के संरक्षण हेतु ट्री–गार्ड लगाये जायें।**

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार समस्त वृक्षारोपण कार्यो हेतु निर्धारित लक्ष्य का अनिवार्यतः परिपालन एवं निर्धारित समयावधि में क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तो का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स अनंत इंफ्राटेक, पार्टनर श्री रामप्रकाश द्विवेदी, निवासी नेहरू नगर, जिला रीवा (म0प्र0) द्वारा पत्थर एवं एम–सेण्ड खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 30,300 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं एम–सेण्ड 40,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.00 हे0, खसरा क्रमांक 418 ग्राम सीतापुर, तहसील मऊगंज, जिला रीवा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) रीवा के पत्र क्र. 820 दिनांक 06.04.2022 के अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 05.04.2032 तक वैध मान्य रहेगी।

<u>अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अतिरिक्त एजेण्डा</u>

13. प्रकरण क्र. 10078/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री रमनदीप मारवाहा आत्मज श्री अमरजीत सिंह मारवाहा, निवासी 1925, रामसिंह बिल्डिंग, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, मस्ताना चौक, रांझी, जिला जबलपुर (म0प्र0) द्वारा बोल्डर/गिट्टी एवं मुरूम खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता गिट्टी 50,682 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं मुरूम 15,852 घनमीटर, रकबा 2.00 हे0, खसरा क्रमांक 77/2, 77/3, ग्राम हंसपुर, तहसील कुंडम, जिला जबलपुर (म0प्र0) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 668वी बैठक दिनांक 09.08.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

है एवं तदुपरांत राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 804वीं बैठक दिनांक 05.09.2023 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत भू–दस्तावेजों के अनुसार खदान का भू–स्वामित्व अनुसूचित जनजाति का है तथा भूमि भी ट्रायवल शेड्यूल क्षेत्र में है। म.प्र. शासन द्वारा जारी पेसा एक्ट 2022 में निहित समस्त परिपालन कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए जिला कलेक्टर के समक्ष परियोजना प्रस्तावक एवं भू–स्वामी की उपस्थिति होकर भू–स्वामी द्वारा प्रदत्त सहमति/अनापत्ति का अभिप्रमाणीकरण करवाकर 15 दिवस में प्रस्तुत करें। तबतक प्रकरण को Delist किया जाता है। तदानुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

प्राधिकरण के उपरोक्त निर्णय के परिपालन में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्र दिनांक 14.09.2023 के माध्यम से प्रकरण में आवेदन प्रस्तुत कर सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं SEAC की 668वी बैठक दिनांक 09.08.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित प्रकरण को **Relist** करते हुये पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया

(i) **जबलपुर जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(ii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत भू–दस्तावेजों के अनुसार खदान का भू–स्वामित्व अनुसूचित जनजाति का है जिसमें कि भू–स्वामी की सहमति विधिसम्मत नहीं होना पाया गया है। अतः जिला खनिज अधिकारी उक्त खदान में खनन संक्रिया आरंभ करवाये जाने के पूर्व जिला कलेक्टर के समक्ष परियोजना प्रस्तावक एवं भू–स्वामी की उपस्थिति में भू–स्वामी द्वारा प्रदत्त सहमति/अनापत्ति का अभिप्रमाणीकरण अनिवार्य रूप से करवाया जाये।**

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार समस्त वृक्षारोपण कार्यों हेतु निर्धारित लक्ष्य का अनिवार्यतः परिपालन एवं निर्धारित समयावधि में क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही **उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने** इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें।

(मुजीबुर्रहमान खान)	**(अनिल कुमार शर्मा)**	**(अरूण कुमार भट्ट)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक श्री रमनदीप मारवाहा आत्मज श्री अमरजीत सिंह मारवाहा, निवासी 1925, रामसिंह बिल्डिंग, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, मस्ताना चौक, रांझी, जिला जबलपुर (म0प्र0) द्वारा बोल्डर/गिट्टी एवं मुरूम खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता गिट्टी 50,682 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं मुरूम 15,852 घनमीटर, रकबा 2.00 हे0, खसरा क्रमांक 77/2, 77/3, ग्राम हंसपुर, तहसील कुंडम, जिला जबलपुर(म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जबलपुर के पत्र क्र. 283 दिनांक 26.05.2023 के अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 25.05.2033 तक वैध मान्य रहेगी।

14. प्रकरण क्र. 8929/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री जीवन चौधरी आत्मज श्री मांगीलाल चौधरी, निवासी ग्राम खंडवा, तहसील पीथमपुर जिला धार (म0प्र0) द्वारा पत्थर एवं मुरूम खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर– 19,000, मुरूम–12,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.80 हे0, खसरा क्रमांक 168/6, 168/7/1, 168/7/2, 168/11 पेकी, ग्राम कल्याणसीखेड़ी, तहसील पीथमपुर, जिला धार (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 803वीं बैठक दिनांक 25.08.2023 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 649वी बैठक दिनांक 07.06.2023 एवं 666वीं बैठक दिनांक 04.08.2023 में उक्त प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया गया......

प्रस्तुतीकरण के पश्चात् समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये:–

1. *खदान क्षेत्र एवं स्टडी एरिया का विडरोज डाईग्राम ।*
2. *प्रस्तुतीकरण के समिति ने पाया कि वायु मापन के दौरान पी.एम. 2.5 की वैल्यू कम प्रतीत हो रही है, अतः म.प्र. प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड, धार के क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से पी.एम. 2.5 की वैल्यू पुनः सत्यापित कर प्रस्तुत करे ।*

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 649वी बैठक दिनांक 07.06.2023 एवं 666वीं बैठक दिनांक 04.08.2023 के अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा निर्धारित समय सीमा में जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः प्रकरण को Delist किया जाता है। तदनुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईमेल दिनांक 13.09.2023 के माध्यम से प्रकरण को Relist किये जाने का अनुरोध किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुए प्रकरण को Relist कर SEAC को परीक्षण हेतु अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(मुजीबुर्रहमान खान) सदस्य सचिव	(अनिल कुमार शर्मा) सदस्य	(अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

15. प्रकरण क्र. 10260/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स गरिमा नेचुरल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड, निदेशक, श्री विकास शर्मा, निवासी 104, 105, द्वितीय तल, श्री राम हेरिटेज, सूर्या अर्पाटमेंट के पास, कटोरा तालाब, जिला–रायपुर (छ.ग) द्वारा गोल्ड ब्लॉक एवं माइन वेस्ट खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता (गोल्ड– 12553, माइन वेस्ट– 119250 टन प्रतिवर्ष, रकबा 23.57 हे0 खसरा क्रमांक 848/2, 848/3, 1111,1118, 358, 847, 848/1, 849, 850, 851, 852, 854, 855, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 853, 1110, 1111, 1112/1 1112/1, 1112/3, 1114, 1115, 1116/1, 1116/2, 1117/1, 1117/2, 1119, 1120, 1121, 1122/1, 1122/2, 1122/3, 1122/4, 1125, 1126/1/1, 1126/1/2, 1126/2, 1126/3, 1123, 1127/1/1, 1127/1/2, 1127/2, 1127/3, 1144/1, 1144/2, 1144/3, 1144/4, 1128, 1124, ग्राम– चकरिया, तहसील– चितरंगी, जिला– सिंगरौली (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 802वीं बैठक दिनांक 24.08.2023 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 665वी बैठक दिनांक 03.08.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि गूगल ईमेज अनुसार खदान के अंदर स्थित आवासीय मकान एवं लीज के मध्य से निकल रहे आवागमन मार्ग परिलक्षित है। अतः उपरोक्त के संबंध में परियोजना प्रस्ताव ग्रामसभा ठहराव प्रस्ताव की प्रति सहित अपने अधिकृत पर्यावरण सलाहकार के साथ प्राधिकरण के समक्ष स्पष्टीकरण हेतु उपस्थित होवें।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्र दिनांक 13.09.2023 के माध्यम से प्रकरण में स्पष्टीकरण हेतु प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होने हेतु अनुरोध किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक अपने अधिकृत पर्यावरण सलाहकार के साथ प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं हुए अतः राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक अपने अधिकृत पर्यावरण सलाहकार के साथ आगामी SEIAA बैठक में उपस्थित होवें। तबतक प्रकरण को यथावत Delist रखा जाता है।

16. प्रकरण क्र. 9885/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री विक्रम चौहान, निवासी– ई वरी नगर, गौरीधाम रोड़, वार्ड 05, जिला–खरगोन (म0प्र0) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता (पत्थर–10146 घनमीटर प्रतिवर्श) रकबा 2.00 हे0, खसरा क्रमांक 22, ग्राम मनावर, तहसील खरगोन, जिला– खरगोन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 802वीं बैठक दिनांक 24.08.2023 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 665वी बैठक दिनांक 03.08.2023 निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

"...........प्रकरण को समिति के समक्ष रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक की ओर पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव उपस्थित हुए, जिन्होंने खनिज अधिकारी के पत्र कमांक 784 दिनांक 13/07/23 प्रस्तुत किया और बताया कि ग्राम मनावर तहसील खरगौन के शासकीय भूमि खण्ड कमांक–22 पर पूर्व में मेसर्स एम.एस. स्टोन क्रेशर के पक्ष में पत्थर गिट्टी क्रेशर का उत्खनन् पटटा स्वीकृत था। पट्टेदार द्वारा उत्खनन् क्षेत्र में की जा रही है अनियमितताओं के कारण मेसर्स एम.एस. स्टोन

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

क्रेशर के पक्ष में स्वीकृत उत्खनिपट्टा पूर्व में निरस्त कर दिया गया है और परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई उत्खनन् कार्य नहीं किया गया है ।....."

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं के संबंध में कलेक्टर, जिला खरगौन से स्पष्ट अभिमत 15 दिवस में प्राप्त किया जाये। तबतक प्रकरण को Delist किया जाता है। तदानुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्र दिनांक **13.09.2023** के माध्यम से प्रकरण में स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण **(SEIAA)** द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त जानकारी सहित अपने अधिकृत पर्यावरण सलाहकार के साथ आगामी SEIAA बैठक में स्पष्टीकरण हेतु उपस्थित होवें। तबतक प्रकरण को यथावत Delist रखा जाता है।

17. प्रकरण क्र. **10038/2023** परियोजना प्रस्तावक मेसर्स जय महावीर मिनरल्स, पार्टनर, श्री ऋषिकेश सतपती, निवासी प्लाट न. **14**, मिसल लेआउट, नागभूमि सोसायटी, इंदौरा, जिला नागपुर (महाराष्ट्र) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सैमी मेकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता **9998** घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा **4.79**, हेक्टेयर, खसरा **846**, ग्राम निमहा, तहसील कोटर, जिला सतना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण **(SEIAA)** द्वारा **800**वीं बैठक दिनांक **16.08.2023** में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :—

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 661वी बैठक दिनांक 20.07.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट—डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :—

परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन के साथ लीज स्वीकृति आदेश अपलोड नहीं किया गया है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान का लीज स्वीकृति आदेश की मूलप्रति परिवेश पोर्टल पर 10 दिवस में अपलोड की जाये। तबतक प्रकरण को Delist किया जाता है। तत्पश्चात् प्रकरण पर विचार किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS दिनांक **13.09.2023** के माध्यम से प्रकरण में लीज स्वीकृति आदेश प्रस्तुत कर ToR प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण **(SEIAA)** द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण आगामी SEIAA बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जाये। तबतक प्रकरण को यथावत Delist रखा जाता है।

18. प्रकरण क्र. **9828/2023** परियोजना प्रस्तावक श्री शशांक सिंह चौहान आत्मज श्री संतोष सिंह चौहान, निवासी गर्ग चौराहा, हनुमानगंज, जिला कटनी (म.प्र.) द्वारा फर्शीपत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता **2200** घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. **1274** पार्ट, रकबा **2.0** हेक्टेयर, ग्राम डांग, तहसील रीठी, जिला कटनी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 801वीं बैठक दिनांक 17.08.2023 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :—

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 654वीं बैठक दिनांक 16.06.2023 एवं 664वी बैठक दिनांक 28.07.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट—ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श निम्नानुसार निर्णय लिया गया :—

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान के अक्षांश देशांश के अनुसार गूगल ईमेज के आधार पर प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कई अन्य खदाने स्वीकृत/संचालित है जिसके अनुसार प्रस्तावित खदान को मिलाकर कुल रकबा 5.00 हेक्टेयर से अधिक होता है जो कि बी—1 श्रेणी के अंतर्गत आता है जबकि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पन्ना द्वारा दिये गये एकल प्रमाण पत्र क्र. 2763 दिनांक 05.12.2022 के माध्यम से 500 मीटर में 01 अन्य खदान 1.80 हेक्टेयर की स्वीकृत/संचालित होना बताया गया है। अतः उपरोक्त के संबंध में जिला कलेक्टर, कटनी से 15 दिवस में प्रस्तावित खदान का संबंधित अधिकारी से स्थल निरीक्षण करवाकर स्पष्ट अभिमत प्राप्त किया जाये। तबतक प्रकरण को Delist किया जाता है। तदानुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS दिनांक 15.09.2023 के माध्यम से प्रकरण में चाही गई जानकारी प्रस्तुत कर पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी पर राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि चूँकि उक्त जानकारी कार्यालय कलेक्टर द्वारा पत्र/ई—मेल के माध्यम से प्रेषित नहीं की गई है। अतः उक्त जानकारी कार्यालय कलेक्टर द्वारा सीधे प्राप्त होने पर प्रकरण को आगामी SEIAA बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जाये। तबतक प्रकरण को यथावत Delist रखा जाता है।

19. प्रकरण क्र 9761/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री आशीष पाठक आत्मज श्री रमेश पाठक, निवासी वार्ड नं. 06, पाठक निवास, धिमरॉला मोहल्ला, नगर परिषद, सटई, लखनगुवां, जिला छतरपुर (म.प्र.) द्वारा पत्थर व एम सेण्ड खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 19788.5 व एम सेण्ड82278.5 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.0 हेक्टेयर, खसरा 5(S), ग्राम पिपरिया घन, तहसील बटियागढ़, जिला दमोह (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 783वीं बैठक दिनांक 03.05.2023 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :—

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 634वी बैठक दिनांक 07.04.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट—ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :—

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान के अक्षांश देशांश के आधार पर गूगल ईमेज अनुसार खनन क्षेत्र के पूर्व दिशा में 35 मीटर पर स्ट्रक्चर निर्मित है एवं खदान के अंदर कंटूर ट्रेंचेस परिलक्षित है। अतः खदान के पूर्व दिशा में निर्मित स्ट्रक्चर क्या है एवं उसको खनन से कोई क्षति तो नहीं होगी के संबंध में जिला कलेक्टर से स्पष्ट

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

अभिमत प्राप्त किया जाये तथा खदान में स्थित कंटूर ट्रेंचेस के संरक्षण के संबंध में परियोजना प्रस्तावक संबंधित विभाग से 15 दिवस में अनापत्ति प्राप्त कर प्रस्तुत करें। तबतक प्रकरण को Delist किया जाता है। तदानुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS दिनांक 13.09.2023 के माध्यम से प्रकरण में चाही गई जानकारी प्रस्तुत कर पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी पर राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि चूँकि उक्त जानकारी कार्यालय कलेक्टर द्वारा पत्र/ई-मेल के माध्यम से प्रेषित नहीं की गई है। अतः उक्त जानकारी कार्यालय कलेक्टर द्वारा सीधे प्राप्त होने पर प्रकरण को आगामी SEIAA बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जाये। तबतक प्रकरण को यथावत Delist रखा जाता है।

20. प्रकरण क्र 9833/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स एस एण्ड एस स्टोन क्रेशर, श्री सचिन पाटनी, निवासी-बड़ा बाजार, उन्हेल, तहसील नागदा, जिला उज्जैन (म.प्र.) द्वारा पत्थर एवं एम.सेण्ड खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 9400 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं एम.सेण्ड 230000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 7.620 हेक्टेयर, खसरा 43, 44, ग्राम अक्याजनिक, तहसील नागदा, जिला उज्जैन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 802वीं बैठक दिनांक 24.08.2023 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 641वी बैठक दिनांक 03.05.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है एवं तदुपरांत राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 797वीं बैठक दिनांक 01.08.2023 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया

> *राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा 500 मीटर की परिधि में पूर्व से स्वीकृत व संचालित 03 खदानों में प्राप्त पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय से अभिप्रमाणित करवाकर प्रस्तुत किये उपरांत ही प्रकरण पर ToR हेतु विचार किया जायेगा। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।*

प्राधिकरण के उपरोक्त निर्णय के परिपालन में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईमेल दिनांक 08.08.2023 के माध्यम से प्रकरण में चाही गई जानकारी प्रस्तुत कर ToR जारी किये जाने का निवेदन किया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि SEIAA की पूर्व बैठक दिनांक 01.08.2023 में लिये गये निर्णयानुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा 500 मीटर की परिधि में स्वयं के नाम पूर्व से स्वीकृत व संचालित 03 खदानों में प्राप्त पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय से अभिप्रमाणित करवाकर प्रस्तुत किये उपरांत ही प्रकरण पर ToR हेतु विचार किया जायेगा। तबतक प्रकरण को यथावत Delist रखा जाता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई-मेल दिनांक 18.09.2023 के माध्यम से प्रकरण में आवेदन प्रस्तुत कर सशर्त ToR प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी पर राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त चाही गई जानकारी प्राप्त होने पर ही प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तबतक प्रकरण को यथावत Delist रखा जाता है।

21. प्रकरण क्र. 2811/2015: परियोजना प्रस्तावक श्री माणक पटेल आत्मज श्री देवीसिंह पटेल, बांदरकच्छ, पोस्ट रणगांव, तहसील ठीकरी, जिला बडवानी (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि), एरिया 1.0 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 10260 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 435/1/1/1/1/ख, ग्राम बडसलाय, तहसील ठीकरी, जिला बडवानी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण श्री पवन कुमार अग्रवाल निवासी मकान न. 108/3, वार्ड नं. 4, मेन रोड, गोकुल धाम, ग्राम बरूफाटक, तहसील टिकरी, जिला बडवानी (म.प्र.) के नाम पर करने हेतु आवेदन।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 796वीं बैठक दिनांक 18.07.2023 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

उक्त प्रकरण राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 738वी बैठक दिनांक 28.07.2022 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

" राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 733वी बैठक दिनांक 21.06.2022 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

"..............राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत यह निर्णय लिया गया है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 17.06.2022 के माध्यम से प्रस्तुत शपथ पत्र में बिलम्ब के कारणों का स्पष्टीकरण दिया गया है यद्यपि यह स्पष्ट नहीं है कि लीज हस्तांतरण के उपरांत नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में उत्खनन नहीं किया गया है। अतः खनिज अधिकारी बड़वानी से उक्त संबंध में 15 दिवस की अवधि में स्पष्ट जानकारी प्राप्त होने के उपरांत पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण किये जाने पर विचार किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।"

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 09.07.2022 के माध्यम से कलेक्टर बड़वानी का पत्र क्र. 373 दिनांक 02.05.2012 प्रस्तुत किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण का परीक्षण करने के दौरान पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) बड़वानी के पत्र क्र. 373 दिनांक 02.05.2022 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि नवीन परियोजना प्रस्तावक के द्वारा लीज हस्तांतरण दिनांक 07.04.2017 से वर्ष 2020 तक उत्खनन किया गया है जो कि ईआईए अधिसूचना 2006 का स्पष्ट रूप से उल्लघंन है। प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण Violation का है। अतः प्रकरण को निरस्त किया जाये एवं परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 07.07.2021 के पैरा (12) अनुसार निर्धारित प्रक्रिया के परिपालन में Violation के अंतर्गत परिवेश पोर्टल पर नवीन आवेदन करें। सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।"

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्राधिकरण के उपरोक्त निर्णयानुसार ई–मेल दिनांक 29.06.2023 के माध्यम से प्रकरण में दस्तावेज प्रस्तुत कर पुर्नविचार किये जाने एवं अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त प्रकरण प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु SEIAA की आगामी बैठक में उपस्थित होवें।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 16.09.2023 के माध्यम से प्रकरण में प्राधिकरण के समक्ष स्पष्टीकरण हेतु प्रस्तुत होने का अनुरोध किया गया।

परियोजना प्रस्तावक श्री पवन अग्रवाल एवं अधिकृत पर्यावरण सलहाकार श्री अमर सिंह यादव प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर प्रकरण के संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए स्पष्टीकरण कर दिया गया।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुए निर्णय लिया गया कि चूंकि प्रकरण निरस्त किया जा चुका है जिसे परिवेश पोर्टल पर पुनः Re-open नहीं किया जा सकता है। अतः परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाता है कि प्रकरण में समस्त जानकारी सहित परिवेश पोर्टल पर पुनः पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु ऑनलाईन आवेदन किया जाये।

22. **Case No 7194/2020 M/s. Glowide Infrastructure Pvt. Ltd, "Artefact Towers", 54/3, Chhatrapati Square, Wardha Road, Dist. Nagpur, Mah. Prior Environment Clearance for Expansion of Manganese Ore Mine in an area of 6.159 ha. (Expansion from 3000 TPA to 12821 TPA) (Khasra No. 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102), Village - Jarah Mohgaon, Tehsil - Katangi, Dist. Balaghat (MP)**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 659वी बैठक दिनांक 13.07.2023 में उक्त प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया गया......

प्रकरण सिया से रिलिस्ट होकर पुनः समिति को परीक्षण हेतु प्राप्त हुआ है, जिसे समिति के समक्ष आज दिनांक 13/07/23 रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री पी.के. विसेन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, मेसर्स क्रिएटिव इंवायरो सर्विसेस, भोपाल उपस्थित हुए । समिति ने प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के प्रारंभ में ही पाया कि यह प्रकरण क्षमता विस्तार के रूप में M/s. Glowide Infrastructure Pvt. Ltd द्वारा प्रस्तुत किया गया है किन्तु खदान की पर्यावरण स्वीकृति में जयपुरिया लियो के नाम पर जारी हुई है। परियोजना प्रबंधन द्वारा स्पष्ट किया गया कि वर्तमान में सम्पूर्ण व्यापार में जयपुरिया लियो के नाम पर ही किया जा रहा है। वर्तमान तक पर्यावरणीय स्वीकृति M/s. Glowide Infrastructure Pvt. Ltd, Nagpur के नाम हस्तांतरित नहीं हुई है। अतः समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरित होने तक नये प्रबंधन के नाम से क्षमता विस्तार प्रकरण पर निर्णय लिया जाना उचित नहीं होगा। अतः समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिये कि पहले पर्यावरण स्वीकृति M/s. Glowide Infrastructure Pvt. Ltd, Nagpur के नाम पर सिया के माध्यम से हस्तांतरित होने के पश्चात् आपके प्रकरण में विचार किया जावेगा ।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 659वी बैठक दिनांक 13.07.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा मेसर्स जयपुरिया लियो के नाम जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण M/s. Glowide Infrastructure Pvt. Ltd, Nagpur के नाम करवाये जाने के उपरांत ही प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जायेगी। अतः प्रकरण को Delist किया जाता है। तदनुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

23. **प्रकरण क्र. 9167/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स ग्रीन माइनिंग कंपनी, पार्टनर श्री प्रशांत जैन, निवासी 108, राजुल कॉम्प्लेक्स आगा चौक, जिला जबलपुर (म0प्र0) द्वारा डोलोमाइट खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 15364 टन प्रतिवर्ष, रकबा 1.40 हे0, खसरा क्रमांक 17, ग्राम ऐंठाखेड़ा, तहसील जबलपुर, जिला जबलपुर की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 804वीं बैठक दिनांक 05.09.2023 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 668वीं बैठक दिनांक 09.08.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 807वी बैठक दिनांक 22.09.2023 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ईआईए प्रतिवेदन में जल व वायु मॉडलिंग, Cluster Management Plan की जानकारी समाहित नहीं की गई है तथा जल व वायु मॉनिटरिंग के फोटोग्राफ भी संलग्न नहीं है। अतः परियोजना प्रस्तावक अपने अधिकृत पर्यावरण सलाहकार के साथ उपरोक्त के स्पष्टीकरण हेतु आगामी बैठक में प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होवें।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 20.09.2023 के माध्यम से प्रकरण में प्राधिकरण के समक्ष स्पष्टीकरण हेतु प्रस्तुत होने का अनुरोध किया गया।

प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत पर्यावरण सलाहकार श्री राकेश चौबे उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा उपरोक्त चाही गई जानकारी प्रस्तुत कर स्पष्टीकरण दिया गया एवं बताया गया कि उक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं की गई है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी पर राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये तथा परियोजना प्रस्तावक अपने अधिकृत पर्यावरण सलाहकार के साथ समस्त दस्तावेजों सहित आगामी SEIAA बैठक में प्राधिकरण के समक्ष स्पष्टीकरण हेतु उपस्थित होवें। तबतक प्रकरण को यथावत Delist रखा जाता है।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

परिशिष्ट–1

गौण खनिज (रेत खनिज के अतिरिक्त) श्रेणी की विशिष्ट शर्तें:

1. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त विशिष्ट एवं साधारण शर्तों अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जाये एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ईआईए अधिसूचना 2006 एवं कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 26.09.2022 में निहित प्रावधान अनुसार शर्तों का छःमाही अनुपालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से परिवेश पोर्टल अपलोड किया जाये एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भी प्रेषित किया जाये।**
2. **संबंधित जिले के जिला खनिज अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में प्रस्तावित खदान हेतु उल्लेखित खनिज की कुल मात्रा से अधिक का उत्खनन न हो।**
3. SEIAA द्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज परिवहन हेतु अधिकतम 20 टन भार के डम्पर/ट्रक ही उपयोग में लिये जायें।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र के पहुंच मार्ग को पक्की सड़क (टॉर रोड़) बनाया जाये, जिससे 20 टन भार (डम्पर/ट्रक्स खनिज सहित) का परिवहन किया जा सके।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परंपरागत उर्जा स्त्रोत की जगह नवकरणीय उर्जा का अधिकतम उपयोग सुनिश्चत किया जाये।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रमुख हवा की दिशा की ओर घने वनीकरण (तेजी से बढ़ने वाली पेड़ प्रजातियों) के साथ विंड ब्रेकिंग वॉल जी.आई. शीट (4 मीटर ऊंचाई तक) की स्थापना खनन क्षेत्र के चारो ओर की जाये।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेसिंग की जाएगी। आमजन और पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की संभावित अप्रिय घटना से बचने के लिए पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।
9. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR/CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
10. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।
11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र की परिधि में 7.5 मीटर के परिधि क्षेत्र को "नो माइनिंग जोन" के रूप में सीमांकित करेगा और हरित पट्टी विकसित करने के उद्देश्य से तीन पंक्तियों में पौधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुचित व्यवस्था भी की जायेगी।

(मुजीबुर्रहमान खान)	**(अनिल कुमार शर्मा)**	**(अरूण कुमार भट्ट)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

12. खनन कार्य भूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमित रहेगा। भूजल स्तर के नीचे कार्य करने की दशा में केन्द्रीय भूजल बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।
14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पट्टा क्षेत्र का उचित भू-दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा।
15. परियोजना प्रस्तावक स्वीकृत खनिपट्टा/पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खनि पट्टे की जानकारी संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।
16. परियोजना प्रस्तावक पट्टा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्ड ड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चित करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा।
17. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर खनन के दौरान निकलने वाले ओवरबर्डन और अपशिष्ट को वृक्षारोपण हेतु खनन क्षेत्र में वापस भरा जाएगा।
18. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अपशिष्ट सामग्री को माईनिंग लीज क्षेत्र में तथा खनि पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई भी ओवरबर्डन एकत्र नहीं किया जावेगा।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
20. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।
21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।
22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी-एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।
23. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।
24. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज करना भी सुनिश्चित करे।

<u>खनन के ऐसे प्रकरण जिनमें ब्लास्टिंग प्रस्तावित है में निम्नानुसार शर्तें लागू होंगी :–</u>

25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एल तरंगों (L Wave) के कंपन प्रभाव को कम करने के लिए विलंबित डेटोनेटर (Delayed Detonator) का उपयोग करके ब्लास्टिंग प्रक्रिया करेगा एवं बोर हेतु 34 मिमी और 83 मिमी ब्लास्टिंग की प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जायेगा

26. अधिकृत विशेषज्ञ संस्था के माध्यम से रॉक लाइमस्टोन/बलुआ पत्थर/ग्रेनाइट/स्टोन आदि का प्रमाणन/अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्ताव के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें जिसमें कि यह प्रतिपादित हो सके कि खनिज रासायनिक, सीमेंट और फर्श आदि जैसे अन्य उद्योगों के लिए अनुपयुक्त है एवं इसे गिट्टी एवं कंकरी बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरी के रखरखाव हेतु उचित योजना सुनिश्चित की जायेगी।

(मुजीबुर्रहमान खान) सदस्य सचिव	(अनिल कुमार शर्मा) सदस्य	(अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष